

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 373/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 27.09.2026

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

साइबर फ्रॉड में ठगी गई धनराशि में से ₹10,000/- पुलिस ने कराया वापस

घटना का विवरण-

आवेदक अबु हमजा निवासी तकिया पहाड़पुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ के खाते से उनकी जानकारी के बिना ₹1,69,500/- की धनराशि कट जाने की जानकारी प्राप्त हुई। आवेदक द्वारा तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करायी गयी। शिकायत पर थाना कोतवाली की साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए एमआरएम पोर्टल के माध्यम से ₹10,000/- की धनराशि आवेदक के खाते में वापस करायी गयी।

आमजन से अपील-

यदि आपके खाते से बिना जानकारी के कोई धनराशि कट जाती है तो तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही संबंधित बैंक को लिखित सूचना देकर अपने नजदीकी थाने की साइबर हेल्प डेस्क से संपर्क करें।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 सागर कुमार रंगू, का0 नीरज पटेल, थाना का0 राजन कुमार गौड़, थाना कोतवाली, आजमगढ़।

थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़

छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण-

दिनांक 25.09.2026 को आवेदिका द्वारा थाना कन्धरापुर पर तहरीर दी गयी कि उनकी 07 वर्षीय पुत्री के साथ गांव के दिनेश उर्फ भूलन पुत्र मान द्वारा बुरी नीयत से अशोभनीय कृत्य किया गया। तहरीर के आधार पर थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0 232/2026 धारा 75(1)(i) बीएनएस व 9m/10 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता के बयान अंकित किये गये।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 27.09.2026 को उ0नि0 प्रमोद मद्धेशिया मय हमराह हे0का0 अजय कन्नौजिया व का0 ऋषि कुमार द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त दिनेश उर्फ भूलन पुत्र मान, निवासी ग्राम हरखुपूर, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष को आजमपुर बाजार से सियरहा की तरफ जाने वाले मार्ग के किनारे से समय करीब 11:15 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 232/2026 धारा 75(1)(i) बीएनएस व 9m/10 पॉक्सो एक्ट, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- सउ0नि0 प्रमोद मद्धेशिया, हे0का0 अजय कन्नौजिया, का0 ऋषि कुमार, थाना कन्धरापुर, आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

पति से विवाद के बाद प्राइवेट पार्ट पर तेजाब डालने वाली पत्नी गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त तेजाब की बोतल बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.09.2026 को वादी मुकदमा मुकेश पाण्डेय पुत्र जगरनाथ पाण्डेय निवासी कोहड़ौरा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपनी पत्नी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 26.09.2026 को ससुराल में किसी बात को लेकर विवाद के दौरान उसकी पत्नी द्वारा उसके प्राइवेट पार्ट पर तेजाब डाल दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 233/2026 धारा 124(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गम्भीरपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता को दिनांक 27.09.2026 को समय 13:20 बजे उसके घर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के कब्जे/निशानदेही से घटना में प्रयुक्त 01 अदद तेजाब की बोतल बरामद की गयी। अभियुक्ता को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 233/2026 धारा 124(1) बीएनएस, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 अदद तेजाब की बोतल।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- SO अमित कुमार त्रिपाठी, का0 दुर्गेश राय, रि0का0 सौरभ कुमार, रि0म0का0 रागिनी गौड़, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

